813

[2019] 2 एस. सी. आर. 813

/

आयोग, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण

बनाम

एस. एस. सर्वेश

(2019 की सिविल अपील संख्या 1463) 05 फरवरी, 2019

/

[अभय मनोहर सप्रे और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

/

Or.XLI,r. 19 और Or.XLIII,आर. 1 (टी)-चूक में खारिज-बहाली-वकील की गैर-उपस्थिति के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा दायर पहली अपील को खारिज करना-आदेश को वापस लेने और अपील को बहाल करने के लिए दायर आवेदन-अपीलीय अदालत द्वारा खारिज-उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका यू/अनुच्छेद 227 भी खारिज कर दी गई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:अपीलीय न्यायालय यू/या द्वारा पारित अपील को फिर से स्वीकार करने से इनकार करने का आदेश। एक्सएलआई,आर. 19 को स्पष्ट रूप से अपील योग्य बनाया गया है। XLIII,आर. 1 (टी) उच्च न्यायालय को-अपीलार्थी का उपाय-प्राधिकरण को यू/ओआर आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करनी थी। XLIII,आर. 1 (टी)-अपीलार्थी-प्राधिकरण ने आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका दायर करने में गलती की-इसके अलावा, नीचे की न्यायालय ों को यह देखना चाहिए था कि पहली अपील अपीलार्थी का एक मूल्यवान अधिकार है और इस प्रकार, अपीलार्थी-प्राधिकरण गुण-दोष के आधार पर अपनी अपील पर मुकदमा चलाने का अवसर पाने का हकदार था-यदि अपीलार्थी का वकील उपस्थित नहीं हुआ, तो न्यायालय प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उनकी अपील को बहाल करने के लिए उन पर कुछ लागत लगा सकती थी-अपीलार्थी-प्राधिकरण द्वारा आदेश को वापस लेने के लिए किया गया आवेदन, या के अर्थ के भीतर एक पर्याप्त कारण है। एक्सएलआई,आर. 19, और इस प्रकार, अनुज्ञात जाती है, अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को देय Rs.10,000/- की लागत के भुगतान के अधीन-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** अपीलार्थी**-**प्राधिकरण द्वारा दायर पहली अपील को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया क्योंकि उस दिन जब अपील सुनवाई के लिए बुलाई गई थी तो उनकी ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ था।इस तरह की बर्खास्तगी ने सिविल संहिता के आदेश **41** नियम **19** के प्रावधानों को आकर्षित किया

/

813 ए.

814 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 2 एस. सी. आर.

प्रक्रिया**, 1908** और**,** इसलिए**,** अपीलकर्ता**-**प्राधिकरण के आग्रह पर सुनवाई के लिए अपील को केवल आदेश **41** नियम **19** के प्रावधानों का सहारा लेकर और उनके पर्याप्त कारण बनाने के अधीन फिर से स्वीकार किया जा सकता है जो उन्हें सुनवाई के लिए बुलाए गए अपील में उपस्थित होने से रोकता है।**[**पारस **13,14] [817-**ई**,** एफ**]**

/

1.2 संहिता के आदेश **41** नियम **19** के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपील को फिर से स्वीकार करने से इनकार करने के आदेश को संहिता के आदेश **43** नियम **1 (**टी**)** के अंतर्गत उच्च न्यायालय में स्पष्ट रूप से अपील योग्य बनाया गया है।इस मामले में**,** चूंकि अपीलीय न्यायालय ने अपील को फिर से स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपीलकर्ता**-**प्राधिकरण द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया**,** इसलिए अपीलकर्ता**-**प्राधिकरण का उपाय संहिता के आदेश **43** नियम **1 (**टी**)** के अंतर्गत **29.06.2016** दिनांकित आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करना था।**[**पैरा **15] [817-**जी**]**

/

/

1.3 अपीलार्थी**-**प्राधिकरण ने संहिता के आदेश **43** नियम **1 (**टी**)** के अंतर्गत अपील दायर करने के बजाय दिनांक **1** के आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद **227** के अंतर्गत रिट याचिका दायर की।यह अपीलार्थी**-**प्राधिकरण की ओर से एक त्रुटि थी और उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर देना चाहिए था और इसके बजाय या तो रिट याचिका को संहिता के आदेश **43** नियम **1 (**टी**)** के अंतर्गत अपील में परिवर्तित कर देना चाहिए था या अपीलार्थी**-**प्राधिकरण को अपने विवेकानुसार संहिता के आदेश **43** नियम **1**

(टी**)** के अंतर्गत अपील दायर करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस लेने की अनुमति देनी चाहिए थी।हालाँकि**,** इस पर ध्यान नहीं दिया गया और उच्च न्यायालय ने गुण**-**दोष के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया।**[**पैरा **16] [817-**एच**, 818-**ए**-**बी**]**

/

/

1.4 अपील अदालत द्वारा पारित दिनांक **1** के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में संहिता के आदेश **43** नियम **1 (**टी**)** के अंतर्गत अपील की गई है**,** जिसने संहिता के आदेश **41** नियम **19** के अंतर्गत किए गए आवेदन को खारिज कर दिया था।हालांकि**,** उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में गलती की।उच्च न्यायालय को रिट याचिका की अनुज्ञात देनी चाहिए थी और अपीलकर्ता**-**प्राधिकरण को गुण**-**दोष के आधार पर उनकी अपील की सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।**[**पारस **17,18] [818-**सी**-**डी**]** ए

/

/

815

द कमिश्नर, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण बनाम एस. एस. सर्वेश ए.

1.5 निचली अदालतों को यह देखना चाहिए था कि पहली अपील अपीलार्थी का एक मूल्यवान अधिकार है और इसलिए**,** अपीलार्थी**-**प्राधिकरण गुण**-**दोष के आधार पर उनकी अपील पर मुकदमा चलाने के अवसर का हकदार था।यदि अपीलार्थी का अधिवक्ता असंख्य कारणों से उपस्थित नहीं हुआ**,** तो न्यायालय गुण**-**दोष के आधार पर अपील पर मुकदमा चलाने के उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित करने के बजाय प्रतिवादी **(**वादी**)** को क्षतिपूर्ति करने के लिए उनकी अपील को बहाल करने के लिए उन पर कुछ लागत लगा सकता था।इस प्रकार के मामलों पर विचार करते समय न्यायालयों को दोनों पक्षों के साथ पर्याप्त न्याय करना चाहिए। वास्तव में**,** चूक में अपील को खारिज करने और योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करने से फर्क पड़ता है।पहली बर्खास्तगी वादी की पीठ के पीछे होती है और बाद वाली बर्खास्तगी वादी को सुनने के बाद होती है।उत्तरार्द्ध को हमेशा पूर्व की तुलना में पसंद किया जाता है।**[**पैरा **22] [819-**सी**-**ई**]**

/

/

1.6 आदेश को वापस लेने के लिए अपीलकर्ता**-**प्राधिकरण द्वारा किए गए आवेदन के अवलोकन पर यह पाया जाता है कि यह या के अर्थ के भीतर एक पर्याप्त कारण है। **41** आर।

19, और इस प्रकार**,** तथापि**,** प्रत्यर्थी **(**वादी**)** को अपीलार्थी**-**प्राधिकरण द्वारा देय **Rs.10,000/-** की लागत के भुगतान के अनुज्ञात है।आक्षेपित आदेश को अलग कर दिया जाता है।नतीजतन**,** अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को अनुज्ञात जाती है।पहली अपील को तदनुसार विधि के अनुसार गुण**-**दोष पर सुनवाई के लिए उसके मूल नंबर पर बहाल कर दिया जाता है।**[**पैरा **23,24] [819-**एफ**-**जी**]**

/

/

संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण**,** कोटा ए**.** आई**.** आर**. 1955**

एससी **425:1955** एस**.** सी**.** आर**. 1-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

1955 एससीआर **1**

संदर्भित

पैरा **19**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2019 की सिविल अपील संख्या 1463।

2017 के डब्ल्यू. पी. संख्या 34313 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 19.02.2018 के निर्णय और आदेश से।

/

महेश ठाकुर, शैलेश मडियाल, सुधांशु प्रकाश, Mrs.Vipasha सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

आनंद संजय एम. नुली, धर्म सिंह, सूरज कौशिक, नंदा कुमार, मेसर्स।नुली और नुली, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

/

816 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 2 एस. सी. आर.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1.अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2017 की रिट याचिका No.34313 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और दिनांक 19.02.2018 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

/

3. इस अपील में शामिल संक्षिप्त विवाद की सराहना करने के लिए, कुछ प्रासंगिक तथ्यों को निर्धारित करना आवश्यक है।

4. अपीलार्थी-मैसूर विकास प्राधिकरण (संक्षेप में, "प्राधिकरण") प्रतिवादी है जबकि प्रतिवादी उस वाद में वादी है जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है।

/

5. प्रत्यर्थी ने प्रधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और लघु कारण न्यायालय , मैसूरू के न्यायालय में अपीलार्थी-प्राधिकरण के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा (ओ. एस. No.685/2006) दायर किया।यह मुकदमा विजयनगर, द्वितीय चरण, देवराज मोहल्ला, मैसूर (इसके बाद 'सूट लैंड' के रूप में संदर्भित) में स्थित भूमि धारक संख्या 2442 के संबंध में स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए था।

/

6. अपीलार्थी-प्राधिकरण ने पेश किए जाने पर अपना लिखित बयान दाखिल किया।पक्षकारों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए।आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय/डिक्री द्वारा, विचारण विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी के मुकदमे का फैसला सुनाया और वाद भूमि के संबंध में अपीलार्थी-प्राधिकरण के खिलाफ एक डिक्री पारित की।7. अपीलार्थी-प्राधिकरण ने व्यथित महसूस किया और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 96 के अंतर्गत प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, मैसूरू के न्यायालय में पहली अपील (R.A.No.370/2012) दायर की।यह अपील 25.04.2014 पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी।उस दिन, अपीलार्थी का वकील तब उपस्थित नहीं हुआ जब अपील सुनवाई के लिए बुलाई गई थी और इसलिए, अपीलीय न्यायालय ने चूक में अपील को खारिज कर दिया।

/

/

8. इसलिए, अपीलकर्ता-प्राधिकरण ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर कर दिनांकित 25.04.2014 आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया और गुण-दोष पर सुनवाई के लिए उनकी अपील को बहाल करने का अनुरोध किया।दिनांक 1 के आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायालय ने उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसने बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपीलकर्ता-प्राधिकरण द्वारा रिट याचिका दायर करने को जन्म दिया।आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को

खारिज कर दिया और अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि की, जिसने इस न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को दायर करने को जन्म दिया है।

/

/

817

द कमिश्नर, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण बनाम एस. एस. सर्वेश [अभय मनोहर सेप्रे, जे.] ए.

/

9. इसलिए, इस अपील में विचार के लिए जो छोटा प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपीलार्थी-प्राधिकरण (प्रतिवादी) द्वारा दायर आवेदन (M.A.No.77/2014) को खारिज करने में उचित ठहराया गया था और इसलिए, उनकी पहली अपील को बहाल करने से इनकार करने में उचित ठहराया गया था।

10. अपीलार्थी-प्राधिकरण के विद्वान वकील श्री महेश ठाकुर और प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री आनंद संजय एम. नुली को सुना।

/

11. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं, आक्षेपित आदेश और 2014 के एम. ए. No.77 में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 29.06.2016 आदेश को भी दरकिनार करते हैं और इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता-प्राधिकरण (प्रतिवादी) द्वारा दायर आवेदन की अनुमति देते हैं और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.04.2014 आदेश को याद करते हैं।

/

12. शुरुआत में हम एक कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना उचित समझते हैं, जिसे अपीलार्थी-प्राधिकरण के विद्वान वकील द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया था।

/

13. अपीलार्थी-प्राधिकरण द्वारा दायर पहली अपील (आर. ए. No.370/2012) को 25.04.2014 पर डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया क्योंकि उस दिन जब अपील सुनवाई के लिए बुलाई गई थी तो उनकी ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ था।14. इस तरह की बर्खास्तगी ने संहिता के आदेश 41 नियम 19 के प्रावधानों को आकर्षित किया और इसलिए, अपीलकर्ता-प्राधिकरण के कहने पर सुनवाई के लिए अपील को केवल आदेश 41 नियम 19 के प्रावधानों का सहारा लेकर फिर से स्वीकार किया जा सकता है और उनके पर्याप्त कारण के

अधीन जो उन्हें सुनवाई के लिए अपील बुलाए जाने पर 25.04.2014 पर उपस्थित होने से रोकता है।

/

/

15. संहिता के आदेश 41 नियम 19 के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपील को फिर से स्वीकार करने से इनकार करने के आदेश को संहिता के आदेश 43 नियम 1 (टी) के अंतर्गत उच्च न्यायालय में स्पष्ट रूप से अपील योग्य बनाया गया है।इस मामले में, चूंकि अपीलीय न्यायालय ने अपील को फिर से स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपीलकर्ता-प्राधिकरण द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, इसलिए अपीलकर्ता-प्राधिकरण का उपाय संहिता के आदेश 43 नियम 1 (टी) के अंतर्गत 29.06.2016 के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करना था।16. अपीलार्थी-प्राधिकरण ने संहिता के आदेश 43 नियम 1 (टी) के अंतर्गत अपील दायर करने के बजाय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका दायर की।

/

/

29.06.2016 दिनांकित आदेश के विरुद्ध संविधान।यह अपीलार्थी-प्राधिकरण की ओर से एक त्रुटि थी और उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर देना चाहिए था और इसके बजाय या तो रिट याचिका को संहिता के आदेश 43 नियम 1 (टी) के अंतर्गत अपील में परिवर्तित कर देना चाहिए था या अपीलार्थी-प्राधिकरण को अपने विवेकानुसार संहिता के आदेश 43 नियम 1 (टी) के अंतर्गत अपील दायर करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस लेने की अनुमति देनी चाहिए थी।हालाँकि, इस पर ध्यान नहीं दिया गया और उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

/

17. इसलिए, हम कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि अपील उच्च न्यायालय में संहिता के आदेश 43 नियम 1 (टी) के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ है, जिसने संहिता के आदेश 41 नियम 19 के अंतर्गत किए गए आवेदन को खारिज कर दिया था।

/

18. जो भी हो, हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में गलती की।उच्च न्यायालय को रिट याचिका की अनुज्ञात देनी चाहिए थी और अपीलकर्ता-प्राधिकरण को गुण-दोष के आधार पर उनकी अपील की सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।

/

19. वास्तव में, यह मामला हमें विद्वान न्यायाधीश-विवियन बोस, जे. की सूक्ष्म टिप्पणियों की याद दिलाता है, जो उनके लॉर्डशिप ने एक में की थी

संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण में इस न्यायालय के प्रमुख मामले,

कोटा, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 425। 20.न्यायाधीश विवियन बोस ने पीठ की ओर से बोलते हुए अपनी विशिष्ट लेखन शैली में आदेश 9 से उत्पन्न मामले पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं और न्यायालयों को मामले का निर्णय लेते समय अपने कर्तव्य की याद दिलाई।अवलोकन उपयुक्त हैं और निम्नानुसार पढ़े जाते हैं:

/

" एक प्रक्रिया संहिता को इस रूप में माना जाना चाहिए।यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्याय को सुविधाजनक बनाने और इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है:सजा और दंड के लिए एक दंडात्मक अधिनियम नहीं; लोगों को परेशान करने के लिए डिज़ाइन की गई चीज़ नहीं।ऐसे अनुभागों का अत्यधिक तकनीकी निर्माण जो व्याख्या की उचित लोच के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, इसलिए (बशर्ते कि हमेशा दोनों पक्षों के लिए न्याय किया जाए) के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि न्याय को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए साधनों का उपयोग इसे विफल करने के लिए किया जा सके।प्रक्रिया के हमारे कानून प्राकृतिक न्याय के एक सिद्धांत पर आधारित हैं जिसके लिए आवश्यक है कि पुरुषों की निंदा बिना सुने नहीं की जानी चाहिए, कि निर्णय उनकी पीठ के पीछे नहीं किए जाने चाहिए, कि कार्यवाही ए

/

/

/

819

द कमिश्नर, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण बनाम एस. एस. सर्वेश [अभय मनोहर सेप्रे, जे.] ए.

जो उनके जीवन और संपत्ति को प्रभावित करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में जारी नहीं रहना चाहिए और उन्हें उनमें भाग लेने से नहीं रोका जाना चाहिए।बेशक, अपवाद होने चाहिए और जहां उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए।लेकिन मोटे

तौर पर, और उस परंतुक के अधीन, हमारे प्रक्रिया कानूनों का अर्थ, जहां भी उचित रूप से संभव हो, उस सिद्धांत के आलोक में लगाया जाना चाहिए। "

/

21. विधि के उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए और इसे इस मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमें इस अपील को स्वीकार करने और आक्षेपित आदेश को दरकिनार करने में कोई संकोच नहीं है।

22. हमारे विचार में, नीचे दिए गए न्यायालयों को यह देखना चाहिए था कि पहली अपील अपीलार्थी का एक मूल्यवान अधिकार है और इसलिए, अपीलार्थी-प्राधिकरण गुण-दोष के आधार पर उनकी अपील पर मुकदमा चलाने के अवसर का हकदार था।यदि अपीलार्थी का अधिवक्ता असंख्य कारणों से उपस्थित नहीं हुआ, तो न्यायालय गुण-दोष के आधार पर अपील पर मुकदमा चलाने के उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित करने के बजाय प्रतिवादी (वादी) को क्षतिपूर्ति करने के लिए उनकी अपील को बहाल करने के लिए उन पर कुछ लागत लगा सकता था।न्यायमूर्ति विवियन बोस ने संग्राम सिंह (उपरोक्त) मामले में इस तरह के मामलों पर विचार करते हुए अदालतों को यह याद दिलाया है कि वे दोनों पक्षों को पर्याप्त न्याय दें।वास्तव में, चूक में अपील को खारिज करने और योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करने से फर्क पड़ता है।पहली बर्खास्तगी वादी की पीठ के पीछे होती है और बाद वाली बर्खास्तगी वादी को सुनने के बाद होती है।उत्तरार्द्ध को हमेशा पूर्व की तुलना में पसंद किया जाता है।23. हमने आदेश को वापस लेने के लिए अपीलकर्ता-प्राधिकरण द्वारा किए गए आवेदन पर विचार किया है और हमने पाया है कि यह संहिता के आदेश 41 नियम 19 के अर्थ के भीतर एक पर्याप्त कारण है।इसलिए, आवेदन को अनुज्ञात जानी चाहिए।हालाँकि, यह प्रत्यर्थी (वादी) को अपीलार्थी-प्राधिकरण द्वारा देय Rs.10,000/- की लागत के भुगतान के अधीन है।अपील की सुनवाई से पहले लागत का भुगतान किया जाए।

/

/

/

/

24. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार इसकी अनुज्ञात जाती है।आक्षेपित आदेश को अलग कर दिया जाता है।परिणामस्वरूप, अपीलार्थी (एम. ए. No.77/2014) द्वारा दायर आवेदन की अनुज्ञात है।आर. ए. 370/2012 को तदनुसार विधि के अनुसार गुण-दोष पर सुनवाई के लिए अपने मूल नंबर पर बहाल कर दिया गया है।

/

/

25. पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित अपीलीय न्यायालय के समक्ष 05.03.2019 पर उपस्थित हों ताकि अपीलीय न्यायालय गुण-दोष पर हमारी किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित गुण-दोष पर अपील की सुनवाई के लिए एक तारीख तय कर सके क्योंकि हमने अपील में शामिल विवाद के गुण-दोष पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।अपील की सुनवाई की जाए और इस आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाए।

/

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/

/